<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 32/2019

आम मेघवाल समाज लवादर बनाम गंगाराम वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वादी की ओर से कथन किया गया है कि वाद में आम समाज की सहमति पत्र दिनांक 03.06.2005 को नोटेरी व लिखित दिनांक 30.05.2005 जिसका अंकन वाद पत्र में है। उक्त लिखापढ़ी भूल से पेश नहीं की जा सकी है। उक्त दस्तावेज सुसंगत है। उक्त लिखापढ़ी से विवादित स्थल वादीगण का होना साबित होता है, जिससे उक्त दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज का वाद में हवाला है, लेकिन भूलवश वादीगण से कम पढ़े–लिखे होने से पेश करना रह गया है, जिसकी ईजाजत दी जानी उचित है। अतः प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज पेश करने की ईजाजत दी जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे मौखिक बहस सुनाते हुए वकील वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किए जाने का निवेदन किया कि दस्तावेज विलंब से पेश किया गया है और प्रकरण में सुसंगत नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजात सुसंगत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।	

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित दस्तावेजात पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज एक आपसी सहमति है, जिसमें कि लवादर गांव के कुछ लोगों ने आपस में यह सहमति प्रकट की है कि विवादित भूमि मेघवाल समाज की है। उक्त दस्तावेज दिनांक 30.05.2005 का है, जो कि विवादित संपत्ति से जुड़े होने के कारण प्रकरण में सुसंगत है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि उपरोक्त दस्तावेज प्रकरण में सुसंगत होने के कारण केवल विलंब के आधार पर रिकॉर्ड पर लेने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। खास तौर से तब जब वादीगण अनपढ़ हैं एवं समाज के पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज सहमति पत्र को रिकॉर्ड पर लिया जाता है और प्रदर्श लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 31.01.2026 को पेश हो।